

( भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 2 में प्रकाशनार्थ )

सं. 14012/23/2005-अ.भा.से.-111

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति असम-मेघालय राज्य संवर्ग के 1994 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री राजीव चंद्र जोशी को 04.09.1996 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं ।

  
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,


भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या 14012/23/2005-अ.भा.से.-111

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2014

1. असम-मेघालय सरकार के मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारी को अधिसूचना की प्रति अग्रेषित करने अनुरोध के साथ ।
2. महालेखाकार (ए एवं ई), असम-मेघालय ।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली । अधिकारी को सीएसई की 1993 में आयोजित परीक्षा के आधार पर आईएस में नियुक्ति दी गई ।
4. स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी (उत्तराखंड)
6. डेस्क अधिकारी (वेतन), अ.भा.से.-11 अनुभाग, डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. ईओ (सीएम) डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
8. एनआईसी (डीओपीटी) को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

  
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार